कम्प्यूटर परिपत्र सं०- 1415123

परिपत्र सं0 1192 / कमि0, वा0 क0, उ0 प्र0 /NTN Digital Express/ 2014-2015 / वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

(विधि अनुभाग)

दिनांक :: लखनऊ :: नवम्बर 21 , 2014

समस्त अधिकारीगण,
वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश।

विषय: **On-line Subscription for/ NTN**

यह आवश्यक है कि विभाग के सभी अधिकारी विधायिका द्वारा बनाये गये कर-कानून, उन्हें लागू करने की प्रक्रिया के लिये शासन द्वारा बनाये गये नियमों / नियमन तथा पूरे प्रदेश में कार्य की तारतम्यता व एकरूपता के लिये जारी विभिन्न मैनुअल्स् व परिपत्रों आदि की अद्यतन स्थिति से अवगत रहें।

अधिकारियों का यह दायित्व भी बनता है कि उनके समक्ष जो भी विवाद आयें उनसे संबंधित अद्यतन कानूनों, उनकी प्रक्रियाओं व संबंधित नजीरानुपातों से अवगत रहें एवं उनका अनुपालन सुनिश्चित करें तथा किसी विवाद के संबंध में उनके समक्ष जो भी नजीरें (Rulings) पेश की जाएं, उन्हें अनदेखा न करें या तो लागू करें या सुभिन्न (Distinguish) करें। अधिकारियों के ऐसा न करने या न कर पाने से अनावश्यक मुकदमेबाजी बढ़ती है जिससे व्यवहारी (Dealer) व राज्य, दोनों के समय, ध्यान व धन की फिजूलखर्ची/ क्षति होती है तथा विभाग की क्षवि धूमिल होती है।

उपरोक्त आवश्यकताओं के संदर्भ में, हर अधिकारी कानून, प्रक्रिया व उनके अर्थ के संबंध में अपनी जानकारी अद्यतन रख सकें, इसके लिए उन्हें स्वयं प्रयत्नशील रहना है। इसमें सहयोग हेतु वाणिज्य कर मुख्यालय द्वारा ई-लाइब्रेरी के रूप में NTN Digital Express के subscription फील्ड के अधिकारियों के उपयोग के लिये पृथक से निम्न प्रकार से उपलब्ध कराये जा रहे हैं।

1. उच्च न्यायालय कार्य, इलाहाबाद; सर्वोच्च न्यायालय कार्य, गाजियाबाद तथा उच्च न्यायालय कार्य, लखनऊ के कार्यालयों को।
2. अपीलीय अधिकारियों हेतु प्रत्येक स्टेशन पर अपील (प्रथम) के कार्यालयों को, जिसका उपयोग उस स्टेशन पर तैनात सभी अपीलीय अधिकारी करेंगे।
3. चिन्हित ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्य-पालक) कार्यालयों को उनके संभाग व अन्य संभाग के समस्त कर निर्धारक अधिकारियों, राज्य प्रतिनिधियों, कर वसूली अधिकारियों, प्रवर्तन के अधिकारियों व आडिट अधिकारियों के लिए।
4. चिन्हित ज्वाइण्ट कमिश्नर (कारपोरेट) कार्यालयों को, जिसका उपयोग उस स्थान में तैनात अतिरिक्त ज्वाइण्ट कमिश्नर (कारपोरेट) भी करेंगे।
5. चिन्हित मण्डलों / उप मण्डलों के कार्यालयों को, जिसका उपयोग उस स्थान पर तैनात समस्त कर निर्धारण व अन्य अधिकारी भी करेंगे।

उपरोक्तानुसार जिन कार्यालयों को NTN Digital Express के subscription उपलब्ध कराये जा रहे हैं, उनका यह दायित्व है कि उक्त को कम्प्यूटर में लोड कराकर ऐसे स्थान पर स्थापित करें जिससे कि उसका उपयोग सुगमतापूर्वक सम्बन्धित अन्य अधिकारियों द्वारा किया जा सके। इस subscription को अद्यावधिक कराना भी सम्बन्धित कार्यालयों के प्रभारी की जिम्मेदारी होगी। NTN Digital Express का Annual renewal का भुगतान मुख्यालय स्तर से समेकित रूप से किया जायेगा। किसी जिज्ञासा व time to time updation आदि के लिये आपूर्ति कर्ता फ़र्म सर्वश्री P & M Technologies, B-2, Modern Plaza Building, Ambedkar Road, Ghaziabad दूरभाष नम्बर (0120) 4128197, 9582005901, 9717837709, ई-मेल :- pandmtechnologies@gmail.com पर सम्पर्क करेंगे। फ़र्म द्वारा उचित समाधान न किये जाने पर इसकी लिखित सूचना मुख्यालय के विधि अनुभाग को दी जायेगी।

विभाग के सभी अधिकारियों का दायित्व है कि इनसे स्वयं की जानकारी को अद्यतन करते रहें एवं विभाग के अन्य अधिकारियों को भी उनसे अवगत कराने व कानून को सही भावना से लागू करने का श्रेष्ठतम प्रयास करें।

S. Tripathi

(साधना त्रिपाठी)
एडीशनल कमिश्नर (विधि), वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।